[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदया, चूंकि हम 15वीं लोक सभा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, अत: इस महान सभा के सभी सदस्यों के साथ मैं आपकी सभा की कार्यवाही के कुशल संचालन हेतु प्रशंसा करता हूं।

महोदया, संसदीय जीवन में, राजनीतिक दलों के बीच मतान्तर होना ही है, परंतु न्यूनतम एकमतता और सहमति लाने के लिए रास्ते ढूंढने के लिए उपाय और साधन भी अवश्य होने चाहिए ताकि भारतीय राज्य का विकास हो सके। और हमने देखा है कि कुछ निर्णायक मामलों पर इस सभा के पास पक्षपात, संघर्ष से ऊपर उठने और राष्ट्रीय सहमति के रास्ते ढूंढने के लिए क्षमता और इच्छा है।

जिस तरीके से तेलंगाना राज्य बन रहा है, वह एक अन्य संकेत है कि यह देश बिना किसी विद्वेष, महत्वहीन चीजों के लाभ-हानि के बारे में बिना अधिक चिन्तित हुए कुछ अत्यंत कठिन निर्णय लेने में सक्षम है और हम इस बात पर गर्व कर सकते है कि तेलंगाना राज्य, जिसके बनने का प्रश्न पिछले साठ सालों से लंबित था, अंत में, अस्तित्व में आ गया है।

खाद्य सुरक्षा विधेयक भी एक अन्य महत्वपूर्ण विधान है। इससे हमारे समुदाय के वंचित वर्गों में आशा की किरण जागेगी। इससे हमारे किसान अधिक उत्पादन करने हेतु प्रेरित होंगे। शरद पवार जी ने बताया है कि किस तरीके से हमारे देश की कृषि की स्थिति में सुधार हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने कृषि मंत्रालय का मार्गदर्शन किया है उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। स्पष्टतया, इस सभा के सभी सदस्यों ने वह परिणाम लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महोदया, हम अब एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां भारत के लोगों को एक बार पुन: मूल्यांकन करने, सरकार के निष्पादन, हमारी सरकार की दुर्बलता, सरकार की उपलब्धियों के मूल्यांकन का अवसर मिलेगा और इस प्रक्रिया में, एक बार फिर सर्वसम्मति की नई भावना उभरेगी, जो हमारे देश को नए रास्तों पर ले जायेगी।

मैं सभा के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। मैं विपक्ष के नेता का धन्यवाद करता हूं। मैं अपने सहयोगी, श्री सुशील कुमार शिंदे, जिन्होंने सदन के नेता के रूप में आत्मविश्वास के साथ अपने कर्त्तव्यों को निभाया है, का धन्यवाद करता हूं। मैं इस महान सभा के सभी सदस्यों को शुभकामना देता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि एक कहल कुछ समय से विद्यमान तनावपूर्ण माहौल में से आशा के नए माहौल का जन्म होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, महोदया मैं एक बार पुन: जिस तरीके से, जिस गरिमा के साथ आपने सभा की कार्यवाही का संचालन किया उसके लिये आपका धन्यवाद करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 5:00 बजे

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : सम्मानित सदस्यगण, पन्द्रहवीं लोक सभा का सत्रावसान होने जा रहा है। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो स्वभावत: विगत पांच वर्षों की स्मृतियां जीवंत हो उठी हैं। कितने ही ऐसे अवसर आए जो मिठास से भरे थे मानो बसंत ऋतु आ गई हो और फिर बिन बुलाए मेहमान की तरह अग्नि परीक्षा की अनेकानेक घड़ियां आ जाया करती थीं और धर्मसंकट द्वार पर दस्तक देने लगते थे। पर हर बार मैने और मुझे लगता है हम सबने यह महसूस किया कि इस सदन के पास अथाह आंतरिक शक्ति है जो इसे चलाती है। इस पर कितने भी आघात क्यों न हों, इसकी शक्ति क्षीण नहीं होती। पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हम इसे आहत करें। नि:संदेह यह शक्ति देश के सीधे-सच्चे मेहनतकश लोगों से इस सदन को मिली है, जो हमने लोकतंत्र को ऊर्जावान बनाए रखना चाहते हैं। मैं उन्हें नमन करती हूं।

मेरे लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि 3 जून, 2009 को सभा ने सर्वसम्मति से मेरा चयन करके मुझे लोक सभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का सम्मान प्रदान किया। संविधन की गरिमा सदैव बनाए रखने का अपने सम्मानित पूर्ववर्तियों द्वारा स्थापित नियमों ओर परिपाटियों के आधार पर निष्पक्षता से सभा का संचालन करने का गंभीर दायित्व मुझपर था जिसका मैंने अपने सामर्थ्य अनुसार सदन के अंदर और बाहर हमेशा ध्यान रखा। लोगों की सामूहिक अभिलाषा को प्रतिबिंबित करने और उसकी नियति निर्धारित करने की जिम्मेदारी इस सदन को सौंपी गई है। यह तभी संभव है जब विभिन्न विषयों पर चर्चा और विचार-विमर्श हो तथा जनता केर समग्र कल्याण के लिए कारगर कानून बनें, विशेष रूप से तब जब ये मामले निर्धन और उपेक्षित वर्ग, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के जीवन पर प्रभाव डालते हों। अत: मैंने सभी सदस्यों विशेषकर प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों को अपने-अपने मत व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

आजादी के बाद हमने समतामूलक समाज रचना को अपना राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया जिससे समाज में किसी प्रकार की गैर-बराबरी न हो। हमारी संसद ने इसके लिए आवश्यक कानून भी बनाए। पर यह नितांत क्षोभकारक स्थिति है कि आज भी समाज में जातिगत भेदभाव और अत्याचार का विकराल रूप दिखाई देता है। शोषित, पीड़ित वंचित लोग जीवन की त्रासदी का संताप झेल रहे हैं। अब इसका अंत होना ही चाहिए